

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

फॉलोइंग // निविदा आमंत्रण सूचना //

कमांक / राठवी ०/ न०पा०ग्नि०/ २०२१ । ४५८

भिलाई, दिनांक / २१/१२/१

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापन बोर्ड (20'X 10' साईज) लगाने हेतु इच्छुक व्यक्ति एजेंसी/फर्म/कंपनी जो नगर निगम भिलाई में विज्ञापन एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने सीलबद्ध लिफाफे में दिनांक 03.12.2021 को अपराह्न 5.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 04.12.2021 को उपस्थित निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष दोपहर 2.30 बजे आयुक्त महोदय द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जावेगी। निविदा तृतीय लिफाफा पद्धति पर आधारित रहेगी जिसका लिफाफा 'अ' में निविदा दाता को जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं विगत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की छायाप्रति, पांच वर्ष का विज्ञापन बोर्ड लगाने का अनुभव प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि वे किसी भी निकाय अथवा शासकीय विभाग में काली सूची में शामिल नहीं हैं, अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा 'ब' में अमानत राशि रुपये दो लाख (2,00000.00) का एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पक्ष में बना हो तथा निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत दर का 50% की राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा, एवं 'स' में निविदादाता द्वारा प्रदत्त दर होगा। तीनों लिफाफा अलग अलग सीलबद्ध कर एक बड़े लिफाफे में डालकर आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई में स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से 03.12.2021 को 5.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी, विलंब से आने वाले दरों पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 25.11.2021 को दोपहर 3.00 बजे तक रुपये 2000.00 का बैंक ड्राफ्ट जमा कर राजस्व विभाग से प्राप्त की जावेगी उक्त राशि वापरी अयोग्य होगी। उपरोक्त फार्म हेतु ठेका अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी जिसमें नियम शर्तों के आधार पर प्रतिवर्ष दर वृद्धि अनुसार राशि निविदादाता द्वारा जमा की जावेगी।

निविदा का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०	विज्ञापन जोन मार्ग	लोकेशन	बोर्ड संख्या	न्यूनतम राशि	अमानत राशि
1	मुख्य मार्ग जी०इ०रोड	1. नेहरुनगर ईसाई कविस्तान से सुपेला चौक पूर्व तक	120	23,58,921.00	2,00,000.00
		2. सुपेला चौक पूर्व से पा०हा०चौक पश्चिम तक	77	11,89,295.00	
		3.पा०हा०चौक पूर्व से खुसीपार नहर नाली तक	34	6,42,568.00	
2	मुख्य मार्ग-2	1. जुनवानी एम० आर० ९ से डी० पी० एस० जुनवानी होते हुए अवंती बाई चौक तक।	83	8,75,114.00	
		2. सुन्दर नगर से छावनी चौक, (गौरव पथ रोड)	26	1,83,518.00	
		3.पा०हा०चौक से ए०सी० सी० चौक तक।	16	1,28,953.00	

3	आंतरिक मार्ग	1. नेहरूनगर चौक से को० पी० एस० एवं को०पी०एस० से अपोलो बी० एस०आर० चौक तक। 2. अयतीबाई चौक के आगे से एम०आर० 10, रुंगटा कालेज तक। 3. पेट्रोलपंप जवाहर नगर से कालीबाड़ी चौक तथा एम० आर० 20 तक। 4. सुपेला चौक से रेल्वे कासिंग तक निगम की भूमि पर। 5. रेल्वे कासिंग नेहरूनगर से ग्रांड छिल्लन होटल के सामने तक	41 20 15 04 07	2,82,216.00 1,35,284.00 1,12,334.00 42,277.00 1,09,640.00	
---	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--

टीप:-निविदा का विस्तृत विवरण नियम शर्त नगर निगम की वेबसाइट
www.bhilainagarnigam.com से डाउनलोड किया जा सकता है।



अधीक्षक (विज्ञापन)
 नगर पालिका निगम
 भिलाई

विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु निविदा की नियम-शर्तें

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापन (होर्डिंग) लगाने वाले क्षेत्र को विभिन्न विज्ञापन जॉन में बांटा गया है तथा यह उप विधियां विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप-विधियां 2012 कहलाएंगी। विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग) लगाने हेतु स्थल निविदा के माध्यम से अधिकतम दरदाता को सक्षम स्वीकृति उपरांत अनुमति दिया जावेगा जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र 0	विज्ञापन जॉन मार्ग	लोकेशन	बोर्ड संख्या	न्यूनतम राशि
1	मुख्य मार्ग जी०इ०रोड	1. नेहरूनगर इसाई क्वार्टर्स्टान से सुपेला चौक पूर्व तक 2. सुपेला चौक पूर्व से पा०हा०चौक पश्चिम तक 3. पा०हा०चौक पूर्व से खुर्सीपार नहर नाली तक	120 77 34	23,58,921.00 11,89,295.00 6,42,568.00
2	मुख्य मार्ग-2	1. जुनवानी एम० आर० 9 से डी० पी० एस० जुनवानी होते हुए अवंती बाई चौक तक। 2. सुन्दर नगर से छावनी चौक, (गौरव पथ रोड) 3. पा०हा०चौक से ए०सी० सी० चौक तक।	83 26 16	8,75,114.00 1,83,518.00 1,28,953.00
3	आंतरिक मार्ग	1. नेहरूनगर चौक से के० पी० एस० एवं के०पी०एस० से अपोलो बी० एस०आर० चौक तक। 2. अवंतीबाई चौक के आगे से एम०आर० 10, रुंगटा कालेज तक। 3. पेट्रोलपंप जावाहर नगर से कालीबाड़ी चौक तथा एम० आर० 20 तक। 4. सुपेला चौक से रेलवे कासिंग तक निगम की भूमि पर। 5. रेलवे कासिंग नेहरूनगर से ग्रांड डिल्लन होटल के सामने तक	41 20 15 04 07	2,82,216.00 1,35,284.00 1,12,334.00 42,277.00 1,09,640.00

- विज्ञापन बोर्ड लगाने, ठेका हेतु निविदा प्रपत्र में निगम में 2000/- (दो हजार रु०) जमा कर निविदा तिथि एक दिवस पूर्व अर्थात् दिनांक 25.11.2021 तक कार्यालयीन दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है ।

2. एजेन्सी द्वारा तीन लिफाफा पद्धति से प्रस्ताव दिया जावेगा। लिफाफा 'अ' में निविदा दाता को जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं विगत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की छायाप्रति, पांच वर्ष का विज्ञापन बोर्ड लगाने का अनुमत प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि व किसी भी निकाय अथवा शासकीय विभाग में काली सूची में शामिल नहीं है। अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा 'ब' में अमानत राशि रूपये 2,00,000.00 का एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पक्ष में बना हो तथा निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत दर का 50% की राशि का बैंक ड्राफट प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा 'स' में निविदा फार्म में स्पष्ट रूप से अपनी दरों को अक्षरी एवं शब्दों में लिख कर प्रस्तुत करना होगा। जिसमें किसी भी प्रकार की काट छाट या ओवर रायटींग मान्य नहीं होगा।

लिफाफा 'अ' में पात्रता होने पर लिफाफा 'ब' खोला जायेगा एवं उसमें पात्रता होने पर अंत में दरों का लिफाफा 'स' खोला जायेगा उक्त तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डाल कर दिनांक 03.12.2021 को कार्यालयीन समय शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से प्रस्तुत करना होगा। समय सीमा में अप्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. अमानत राशि का एफ.डी.आर. निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेंसी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. को नियमानुसार सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के पश्चात् मुक्त किया जा सकेगा एवं सफल निविदाकार के एफ.डी.आर. को सफल संचालन एवं संधारण के साथ निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत, नियमानुसार वापस किया जा सकेगा।

4. विज्ञापन बोर्ड केवल 20फुट x 10फुट आकार हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है, यदि विज्ञापन एजेन्सी इससे अधिक या बड़ा होईंग लगाना चाहेरे तो इसकी अनुमति स्थल उपलब्ध होने पर उस क्षेत्र के श्रेणी हेतु प्राप्त अधिकतम राशि के समानुपातिक राशि जमा करने पर निगम द्वारा सक्षम स्वीकृति उपरांत लगाया जावेगा अथवा बड़ा आकार का बोर्ड लगे होने पर समानुपातिक राशि जमा करना होगा एवं भविस्य में विज्ञापन बोर्ड की संख्या में परिवर्तन होने पर आयुक्त महोदय की सक्षम स्वीकृति के तहत समानुपातिक गणना कर राशि ली जावेगी।

5. निगम के बकाया राशि से संबंधित किसी भी बकायादार को निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी। निगम के बकायादारों के द्वारा निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को होगा। तथा उसके द्वारा जमा बैंक ड्राफट में से पूर्व बकाया राशि काटकर वापस की दी जावेगी।

6. निविदादाता को निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक दर पर ही निविदा भरना होगा, किसी भी निविदा में निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम दर प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

7. निविदादाता से प्राप्त अधिकतम दर स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को होगा।

8. विज्ञापन बोर्ड ठेका के निविदा की शेष राशि ठेका प्रारंभ होने के पश्चात् 6 माह के भीतर अद्वीम रूप से जमा करना होगा। उक्त निर्धारित तिथि के भीतर शेष बकाया राशि जमा नहीं करने पर 7 दिनों के भीतर 100/- रु० प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क सहित शेष बकाया राशि जमा कराया जा सकेगा। विलंब शुल्क सहित निर्धारित अवधि के भीतर शेष बकाया राशि जमा नहीं करने पर विज्ञापन बोर्ड का ठेका निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित किया जावेगा। इसके लिये ठेकेदार का किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये दावा स्वीकार

// 3 //

9. विज्ञापन बोर्ड की ठेका (दर) कार्यादेश प्राप्ति दिनांक से एक वर्ष के लिये दिया जावेगा । तथा 10—10 प्रतिशत वृद्धि कर चार बार प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जावेगा, इस प्रकार विज्ञापन बोर्ड लगाने की अवधि पांच वर्ष की होगी तथा नवीनीकरण की 50 प्रतिशत राशि अग्रिम तथा 50 प्रतिशत राशि 06 माह के भीतर जमा करना होगा ।

10. होर्डिंग यातायात में बाधक न हो तथा पूर्णतः जी0ई0रोड प्रभाव को छोड़कर लगाया जावेगा सड़कों के धुमावदार मोड़ पर होर्डिंग नहीं लगाये जावेगें । यह कि होर्डिंग को सदा अन्यन्त सुरक्षित रूप से प्रदर्शित करना होगा और होर्डिंग को पूरी सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संचालित एजेन्सी की होगी । किसी प्रकार की घटना/दुर्घटना की सम्पूर्ण जवाबदारी एजेन्सी/निविदादाता की होगी ।

11. यह कि जब कभी निगम के द्वारा होर्डिंग के स्थल और या उसको मजबूती देने वाले ढाँच की सुरक्षा और स्थिरता के बारे में प्रमाणित स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखित में निर्देश प्रमाण—पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा तथा लगाये गये श्रेणी वार होर्डिंग की सूची निगम में प्रस्तुत करना होगा एवं अधिकतम दरदाता एजेन्सी के द्वारा अन्य एजेन्सी को बोर्ड दिये जाने पर विस्तृत विवरण सहित सूची निगम में प्रस्तुत करना होगा ।

12. ऐतिहासिक महत्व के भवनों, रकूलों एवं कालेजों के प्रवेश द्वारों के निकट होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी ।

13. लगाये जाने वाले होर्डिंग में राष्ट्रीयता, सामाजिक, समरसता, छल्लीसगढ़ राज्य की गणिमा, क्षेत्रीयता, जाति, धर्म एवं अन्य जो जानबूझकर विद्वेश (प्रेरित करते हो) के संकेत को चिन्हित करते हो का उपयोग नहीं होना चाहिए एवं अश्लील विज्ञापन नहीं होना चाहिये ।

14. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय—समय पर जारी आदर्श आचार सहित का पालन सुनिश्चित करना होगा ।

15. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर ठेका निरस्त करते हुए जमा राशि राजसाल कर पुनः निविदा की कार्यवाही नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा की जावेगी

16. सशर्त निविदा रखीकार नहीं की जावेगी तथा ये उप विधिया विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप—विधियां 2012 कहलाएंगी एवं इस नियम शर्तों का अंग माना जावेगा ।

17. किसी भी प्रकार के विवाद की रिप्टियां मैं आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अतिम होगा एवं न्यायालयीन वाद की रिप्टी मैं वाद क्षेत्र दुर्ग होगा ।

18. पूर्व में जो निविदा दाता किसी भी प्रकार की विज्ञापन एजेन्सी को नगर निगम द्वारा काली सूची में डाली गई है उन्हे निविदा में भाग लेने की प्रत्रता नहीं होगी ।

19. नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत यदि किसी योजना के तहत जैसे पलाईओवर निर्माण, युनीपोल स्थापना से कोई विज्ञापन बोर्ड स्थल प्रभावित हो रहा है तो उसमे संबंधित एजेन्सी को नगर निगम की सूचना पर विज्ञापन बोर्ड एक सप्ताह के भीतर हटाना होगा जिसके लिये किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी ।

20. नगर निगम भिलाई या यातायात विभाग द्वारा जारी विज्ञापन निःशुल्क प्रदर्शित किया जाना होगा जिसका किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जावेगा ।

३११. १